भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *198
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

## भारतीय विधिक सेवा (आईएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण

**198. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विधिक सेवा (आईएलएस) के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) 31 अक्तूबर, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय विधिक सेवा (आईएलएस) के अधिकारियों के लिए कितने प्रशिक्षण संचालित किये गये ; और

(ग) क्या इन प्रशिक्षणों में निजी अभिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी होती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**माननीय सदस्य डा. सहस्रबुद्धे द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *198 जिसका उत्तर तारीख 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

**(क) :** श्रीमान जी, सेवा में शामिल होने के पश्चात्, आईएलएस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, इस स्तर पर कार्यान्वयन की कोई योजना नहीं है। आईएलएस के निम्नतम श्रेणी के अधिकारियों के पास भी, अन्य ऐसी सिविल सेवाओं, जहां नवागतों के लिए भी प्रवेश खुला हैं, के विपरीत न्यूनतम सात वर्षों का विधिक अनुभव होता है । तथापि, आईएलएस अधिकारियों के कौशल के उन्नयन के लिए और अधिकारियों को नवीनतम न्यायिक और विधिक प्रवृत्तियों से अवगत कराने के लिए, वर्ष 2019-20 में विभिन्न विषय-वस्तुओं पर आवधिक व्याख्यान श्रृंखलाएं आयोजित की गईं थीं ।

**(ख) और (ग) :** प्रश्न ही नहीं उठता है ।

**********